

राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:प.16(1)राज-6/2004/2

जयपुर दिनांक:-10.02.2014.

-:अधिसूचना:-

इस विभाग द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम, 13 के उप नियम (1) के खण्ड (vii) की शक्तियों के प्रयोग में अधिसूचना क्रमांक 16(1)राज-6/2004/7 दिनांक 08.02.2013 के द्वारा श्री पूर्णचन्द मेहरडा, पूर्व जिला परिषद सदस्य, निवासी चक 1 डीबीएन, ग्रा.प. भगवानगढ तह0 सूरतगढ को उपखण्ड सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर हेतु उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया गया था।

उपरोक्त आवंटन सलाहकार समिति में श्री पूर्णचन्द मेहरडा का सदस्य के रूप में किया गया मनोनयन तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(जे0पी0 बुनकर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
3. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर।
4. निबंधक राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
5. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 10.02.2014 में प्रकाशनार्थ।
6. श्री पूर्णचन्द मेहरडा पूर्व जिला परिषद सदस्य निवासी चक 1 डीबीएन, ग्रा.प. भगवानगढ तह0 सूरतगढ को उपखण्ड सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
7. उप खण्ड अधिकारी, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर।
8. उप निबंधक, (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
9. राविरा राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
10. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव